



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 2, 1946)

सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने के संबंध में

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मोबाईल फोन की घंटी बजने से या उसका उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है। पूर्व में एकाधिक अवसरों पर माननीय सदस्यों के मोबाईल फोन की घंटी बजने से सभा की कार्यवाही में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा भवन में मोबाईल फोन लेकर नहीं आये/मोबाईल फोन स्वीच ऑफ मोड में रखें अथवा सभा में जाने के पूर्व अपने-अपने मोबाईल फोन सूचना कार्यालय में पावती प्राप्त कर जमा करें।

माननीय सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा